20.121

राज्य द्वारा एडीपीओ

अभियुक्त बलवीर सिंह पुत्र नारायण सिंह अनु०। प्रकरण अभि० की उप० हेतु नियत है।

प्रकरण में अभियुक्त की उप0 हेतु जारी गिरफतारी वारंट अप्राप्त अभियुक्त की आदेशिका के तामीलकर्ता तामील कुनिंदा कथन प्रस्तुति लेख किये जाने पर भी उप0 नहीं हुआ है।

प्रकरण 5 वर्ष से अधिक पुराना है जिसका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। चूंकि अभियुक्त नहीं मिला है और उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना दर्शित नहीं है। कई बार आदेशिका भी जारी हो चुकी है। ऐसे में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु अनंतकाल तक प्रकरण लंबित नहीं रखा जा सकता। अतः द०प्र०सं० की धारा 299 के अधीन अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है।

अभियुक्त के मुचलके व जमानत के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जाये।

अभियुक्त बलवीर सिंह पुत्र नारायण सिंह यादव आयु 34 वर्ष निवासी मेहगांव जिला मिण्ड म०प्र० को स्थायी गिरफतारी वारंट लाल स्याही से मय जमानतदार व हाल निवास पते का उल्लेख कर जारी किया जाये। साथ ही गिरफतारी वारंट की प्रविष्टी वारंट रिजस्टर में कर पावती ली जाये। थाना प्रभारी के ज्ञापन सिहत भेजा जाये कि रोजनामचा सान्हा पर प्रविष्टी कर स्थाई वारंट के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जाये कि अभियुक्त फरार है प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

प्रकरण अमिलेखागार परिणाम दर्ज कर संचयन हेतु भेजा जाये।

(A.K. Glipta)
Judicial Magintate Airst Class
Gohad distt Bhind (M.P.)